स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 44

परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4035.05	22.28	4057.33	3700.00	21.67	3721.67	4930.00	23.83	4953.83
पूंजी		*174.95*	*...*	*174.95*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़		**4210.00**	**22.28**	**4232.28**	**3700.00**	**21.67**	**3721.67**	**4930.00**	**23.83**	**4953.83**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	...	3.20	3.20	...	3.20	3.20	...	3.35	3.35
परिवार कल्याण										
2. निदेशन और प्रशासन	2211	11.70	4.20	15.90	10.35	4.20	14.55	6.00	4.25	10.25
	3601	91.80	...	91.80	91.80	...	91.80	164.00	...	164.00
	3602	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
जोड़-निदेशन और प्रशासन		**108.50**	**4.20**	**112.70**	**107.15**	**4.20**	**111.35**	**180.00**	**4.25**	**184.25**
परिवार कल्याण सेवाएं										
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	2211	3.50	...	3.50	3.05	...	3.05	4.09	...	4.09
	3601	988.30	...	988.30	945.71	...	945.71	1711.65	...	1711.65
	3602	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.36	...	2.36
	जोड़	*994.50*	*...*	*994.50*	*951.46*	*...*	*951.46*	*1718.10*	*...*	*1718.10*
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.80	...	0.80	0.43	...	0.43	0.42	...	0.42
	3601	61.20	...	61.20	61.20	...	61.20	101.60	...	101.60
	3602	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	7.78	...	7.78
	जोड़	*67.50*	*...*	*67.50*	*67.13*	*...*	*67.13*	*109.80*	*...*	*109.80*
5. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना	2211	603.95	...	603.95	441.40	...	441.40	571.53	...	571.53
	3601	519.00	...	519.00	487.86	...	487.86	225.00	...	225.00
	3602	4.00	...	4.00	4.10	...	4.10	4.00	...	4.00
	जोड़	*1126.95*	*...*	*1126.95*	*933.36*	*...*	*933.36*	*800.53*	*...*	*800.53*
6. टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियो का उन्मूलन	2211	13.10	...	13.10	12.22	...	12.22	157.84	...	157.84
	3601	40.00	...	40.00	0.10	...	0.10	434.00	...	434.00
	3602	0.90	...	0.90	...	...	...	6.00	...	6.00
	जोड़	*54.00*	*...*	*54.00*	*12.32*	*...*	*12.32*	*597.84*	*...*	*597.84*
7. मातृत्व लाभ योजना	2211	72.00	...	72.00	72.00	...	72.00	81.00	...	81.00
जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं		**2314.95**	**...**	**2314.95**	**2036.27**	**...**	**2036.27**	**3307.27**	**...**	**3307.27**
8. परिवहन	2211	0.25	0.22	0.47	0.25	0.30	0.55	0.40	0.33	0.73
	3601	62.50	...	62.50	62.50	...	62.50	100.90	...	100.90
	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.40	...	0.40
जोड़-परिवहन		**63.00**	**0.22**	**63.22**	**63.00**	**0.30**	**63.30**	**101.70**	**0.33**	**102.03**
9. मुआवजा	2211	2.00	...	2.00	1.29	...	1.29	4.00	...	4.00
	3601	108.50	...	108.50	108.50	...	108.50	134.00	...	134.00
	3602	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	6.00	...	6.00
जोड़-मुआवजा		**112.50**	**...**	**112.50**	**111.79**	**...**	**111.79**	**144.00**	**...**	**144.00**
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
10. सूचना, शिक्षा और संचार	2211	31.50	2.00	33.50	31.50	2.03	33.53	50.33	2.25	52.58
11. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन	2211	37.95	12.66	50.61	34.25	11.94	46.19	39.16	13.65	52.81
	3601	71.00	...	71.00	71.00	...	71.00	81.49	...	81.49
	3602	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	0.60	...	0.60
	जोड़	*109.95*	*12.66*	*122.61*	*105.75*	*11.94*	*117.69*	*121.25*	*13.65*	*134.90*
12. स्वास्थ्य गाइड योजना	2211	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	...	...	...
	3601	4.45	...	4.45	4.45	...	4.45	...	...	...
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*4.50*	*...*	*4.50*	*4.50*	*...*	*4.50*	*...*	*...*	*...*
जोड़-शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		**145.95**	**14.66**	**160.61**	**141.75**	**13.97**	**155.72**	**171.58**	**15.90**	**187.48**
13. अन्य सेवाएं और आपूर्ति										
13.01 प्रसवोत्तर कार्यक्रम	2211	3.00	...	3.00	2.22	...	2.22	...	...	...
	3601	129.00	...	129.00	129.00	...	129.00	...	...	...
	3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
	जोड़	*135.00*	*...*	*135.00*	*134.22*	*...*	*134.22*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13.02 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का	2211	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.45	...	0.45
निःशुल्क वितरण	3601	113.00	...	113.00	113.00	...	113.00	174.83	...	174.83
	3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	6.52	...	6.52
	जोड़	*117.00*	...	*117.00*	*117.00*	...	*117.00*	*181.80*	...	*181.80*
13.03 वाणिज्यिक वितरण	2211	114.30	...	114.30	96.22	...	96.22	112.50	...	112.50
13.04 संभारतंत्र सुधार	2211	9.00	...	9.00	1.50	...	1.50	9.00	...	9.00
13.05 क्षेत्र परियोजनाएं	2211	130.00	...	130.00	91.50	...	91.50	42.70	...	42.70
	3601	120.00	...	120.00	96.50	...	96.50	32.10	...	32.10
	जोड़	*250.00*	...	*250.00*	*188.00*	...	*188.00*	*74.80*	...	*74.80*
13.06 बंध्यीकरण बिस्तर	3601	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.74	...	1.74
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.06	...	0.06
	जोड़	*1.35*	...	*1.35*	*1.35*	...	*1.35*	*1.80*	...	*1.80*
13.07 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	1.69	...	1.69	1.69	...	1.69	1.70	...	1.70
13.08 स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमी	2211	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	3.15	...	3.15
13.09 बकाया	3601	380.00	...	380.00	380.00	...	380.00	...	...	...
13.10 अन्य योजनाएं	2211	1.27	...	1.27	0.75	...	0.75	1.50	...	1.50
13.11 नए उपक्रम-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	2211	34.24	...	34.24	34.20	...	34.20	170.80	...	170.80
13.12 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण	2211	70.00	...	70.00	30.00	...	30.00	59.40	...	59.40
14. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2552	174.95	...	174.95	253.76	...	253.76	409.00	...	409.00
	4552	174.95	...	174.95	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*349.90*	...	*349.90*	*253.76*	...	*253.76*	*409.00*	...	*409.00*
जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां		**1465.10**	**...**	**1465.10**	**1240.04**	**...**	**1240.04**	**1025.45**	**...**	**1025.45**
15. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	...	...	...	100.00	100.00	...	130.00	130.00
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	3606	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-130.00	-130.00
सहायता सामग्री और उपस्कर	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल-जोड़		***4210.00***	***22.28***	***4232.28***	***3700.00***	***21.67***	***3721.67***	***4930.00***	***23.83***	***4953.83***

ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. परिवार कल्याण	22211	3860.10	...	3860.10	3446.24	...	3446.24	4521.00	...	4521.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	349.90	...	349.90	253.76	...	253.76	409.00	...	409.00
	जोड़	*4210.00*	...	*4210.00*	*3700.00*	...	*3700.00*	*4930.00*	...	*4930.00*

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 का लक्ष्य शताब्दी के अन्त तक प्रति हजार जनसंस्था पर अशोधित जन्म दर 21 प्रति हजार जनसंस्था, अशोधित मृत्यु दर 9 प्रति हजार जनसंस्था और वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत होने के साथ इकाई की निवल प्रजनन दर प्राप्त करना है। नौवीं योजना दस्तावेज में इस लक्ष्य को 2011-2016 ईस्वी तक की अवधि में प्राप्त कर लिए जाने की परिकल्पना की गई है। तथापि, जनगणना 2001 ने दर्शाया है कि औसत धातांक वृद्धि दर 1981-91 के 2.14 के स्तर से गिरकर 1991-2001 के दौरान 1.93 हो गई। सरकार ने फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंस्था नीति अपनाई है जिसमें वर्ष 2010 तक हासिल किए जाने वाले कतिपय सामाजिक जनसांस्थिकीय लक्ष्य रखे गए है। कुछ प्रमुख उद्देश्य है- 2.1 की कुल प्रजनन-दर हासिल करना, 30 की शिशु मृत्यु दर और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100% प्रसव का लक्ष्य पूरा करना।

इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें तथा उनके लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**: इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें 3.25 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

2. **निदेशन और प्रशासन**: परिवार कल्याण विभाग का तकनीकी स्कन्ध परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक और नीति विषयक मार्गदर्शन प्रदान करता है और मुख्यालय में आयोजना, परिवीक्षण, समन्वय और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक परिवार कल्याण एकक की स्वीकृति दी गई है। राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्यूरो राज्य स्तर पर परिवार कल्याण संगठन के एक भाग के रूप में विद्यमान है। वर्ष 2002-2003 के.ब.अ. में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

3. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं:**

3.1 **ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र**: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन और प्रसूति एंव शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संबंध में 1.4.80 तक सभी ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी मंजूरी दे दी गई है। देश में ऐसे 5435 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 1.4.1980 तक स्वीकृत ब्लाक स्तर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसमें सम्मिलित हैं। योजना आयोग के निर्णय के अनुसार स्वैप प्रस्ताव के तहत सभी ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को उप-केन्द्रों के बदले में राज्यों को अन्तरित कर दिया गया है। तद्नुसार ब.अ. 2002-2003 में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.2 **ग्रामीण उप-केन्द्र**: निचले स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख- रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंस्था (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंस्था) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। देश में मौजूद 1,37,311 उप-केन्द्रों की तुलना में केवल 97,757 उप-केन्द्र

(1.4.1980 तक स्थापित) ही अब तक परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित किए गए है। योजना आयोग के निर्णय के अनुसार, स्वैप प्रस्ताव के तहत सभी ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को उप-केन्द्रों के बदले में राज्यों के अन्तर्गत कर दिया गया है।

कुल परिव्यय में से 190.90 करोड़ रुपए की राशि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए है और इसे बजट में 'उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए' एकमुश्त व्यवस्था' में अलग से शामिल किया गया है।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं**: शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन पर विचार किया गया है। वर्तमान में 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 871 स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान इन सेवाओं के लिए 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 12.20 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

5 **प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम**: परिवार कल्याण कार्यक्रम की कारगरता में सुधार करने के लिए, माता और शिशु देखभाल के लिए कार्यक्रम को वर्ष 1997 में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य परियोजना वर्तमान में शिशु उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रलापों को सुदृढ़ और विस्तृत करने के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई वर्तमान सेवाओं को सुदृढ़ और उनकी पुनःस्थापना करेगा। सेवाओं का यह पैकेज नैदानिक सेवाओं, प्रजननांग संक्रमण/यौन संचारी संक्रमण तथा किशोर स्वास्थ्य के लिए भी होगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से महिलाओं तथा बच्चों विशेषकर गरीब तथा वंचित लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाकर तथा शिशु, बाल तथा मातृत्व मृत्युदर और रुग्णता में कमी करके परिवार कल्याण कार्यक्रम की पूरी न हुई आवश्यकताओं को पूरा करना है:—

(क) सेवाओं के पैकेज के अनुसार आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए चल रही शिशु उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को बनाए रखना तथा सुदृढ़ बनाना;

(ख) प्रणाली सुधार और नीति संबंधी परिवर्तन के कार्यान्वयन में परिवार कल्याण प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना।

(ग) प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आवश्यक पैकेज के अन्तर्गत सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता को सुदृढ़ करना और

(घ) निरन्तर वित्तपोषण के लिए कार्यनिष्पादन आधारित कसौटी पर परियोजना कार्यान्वयन में सुधार लाना।

दसवीं योजना के निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा गठित विभिन्न कार्यदलों द्वारा इस कार्यक्रम की गहन समीक्षा की गई है। कार्यदल ने मौजूदा कार्यक्रम को जारी रखने के साथ प्रसव-पूर्व देख-रेख के क्षेत्र में, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा धात्रीविद्या, अनीमिया और लघु पोषण के अभाव का मुकाबला करने के कार्यक्रम तथा आपतिक प्रासिवक देख-रेख के क्षेत्र में दखल-कार्रवाइयों को मजबूत/विस्तृत करने का सुझाव दिया है। डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और महिलाओं तथा बच्चों में अनेस्थीसिया संबंधी विकार में चयअपचय तथा लघु-पोषण पर नियंत्रण करने की योजनाएं।

शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख तथा आरसीएच के लिए खराब बुनियादी सेवाएं होती है। शहरी स्थानीय निकायों में मजबूत भागीदारी के जरिए छोटे और मध्यम आकार के शहरों के सेवा सुपुर्दगी नेटवर्क को बढ़ाने का प्रस्ताव है। क्षेत्र-परियोजनाओं का केन्द्र सामूहिक तौर पर अधिकार-सम्पन्न कार्यदल राज्य' नामक 8 राज्य होंगे जो जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरुरी है।

इस परियोजना के लिए ब.अ. 2002-2003 ब.अ. में 1487.50 करोड़ रुपए (एसआईपी के लिए 636.00 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 50.97 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

6. **टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा पोलियों का उन्मूलन**: इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2002-2003 के दौरान क्रियान्वित किए जाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से परिवार कल्याण विभाग को अन्तरित की गई है। इसमें से 9 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

7. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना**: ग्रामीण विकास विभाग से परिवार कल्याण विभाग को 2002-2003 के दौरान कार्यान्वयन हेतु अन्तरित की गई इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 9 करोड़ रुपए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

8. **परिवहन**: इस तथ्य को मानते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरों पर वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए सहायता दी जाती है। प्रारंभिक स्तर पर गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ए.एन.एम. को मोपेड प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा यूएनएफपीए परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत एम्बुलेसें भी मुहैया करवाता है। वर्ष 2002-2003 के ब.अ. में 113 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 11.30 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

9. **क्षतिपूर्ति**: बंध्य विधियों (बन्ध्यीकरण) को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति तथा भोजन, मरहम पट्टी, दवाइयों परिवहन आदि की लागतों को पूरा करने के लिये पुरुष नसबन्दी/स्त्री नसबन्दी/लूप लगवाने के प्रत्येक मामले के लिए क्रमशः 180/200/16 रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना को एन.डी.सी. की जनसंख्या सम्बन्धी सीमिति की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है और यह वर्ष 1995-96 से प्रभावी है। संशोधित योजना के अन्तर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अधीन व्यय के विभिन्न शीर्षों के बीच क्षति पूर्ति की राशि को बांटने में लचीलापन रखते हैं। 7.2.2001 इन राशियों में संशोधन किया गया है तथा स्त्री नसबन्दी के प्रत्येक मामले में 300 रुपए और पुरुष नसबन्दी के प्रत्येक मामले के लिए 250 रुपए करने और आईयूडी इन्सर्शन के प्रत्येक मामले के लिए 20 रुपए दिए जाएगे।

वर्ष 2002-2003 के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए 160 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, इसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यवस्थित 16 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

10. **सूचना, शिक्षा और संचार**: सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का कार्यान्वयन आर.सी.एच. तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किया जाता है। 15 अक्तूबर, 1997 को शुरु किए गए प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरह ही एक बहुस्तरीय आई.ई.सी. नीति की रुपरेखा तैयार की गई है। कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित नीतियों में प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं को प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर फिल्में बनाने और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी मामलों पर पारस्परिक पेनल विचार-विमर्श करने के लिए व्यावसायिक एजेन्सियों की सेवाएं लेने, और जिला साक्षरता समिति आदि के माध्यम से जिला स्तर पर पूर्ण साक्षरता अभियान को जोड़ना शामिल है। इन कार्यकलापों को केन्द्र में सूचना शिक्षा तथा संचार प्रभाग द्वारा समन्वय तथा मानीटर किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2002-2003 के ब.अ. में 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि 53.70 करोड़ रुपए के प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य योजना में आई.ई.सी. कार्यकलापों के लिए की गई व्यवस्था के अतिरिक्त है। इस व्यवस्था में से 35 करोड़ रुपए, 3.37 करोड़ रुपए और 3.86 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से निर्धारित है।

12. **प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन**: परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त प्रशिक्षित एवं शिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया ही जाना चाहिए। इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, ए.एन.एम. और एम.पी.डब्लू. प्रशिक्षण विद्यालयों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी सुव्यवस्थित संस्थाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2002-2003 के ब.अ. में प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए 121.25 करोड़ रुपए रखने की व्यवस्था की गई है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 9.65 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

13. **अन्य सेवाएं और आपूर्तियांः**

13.02 और 13.03 **गर्भ निरोधकों का निःशुल्क और वाणिज्यिक वितरणः** इस तथ्य को जानते हुए कि पुनःप्रजनन आयु सीमा में अधिकाधिक संख्या में युवा-युगल प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बंध्यीकरण जैसी परिवार नियोजन की पद्धतियों को अपनाने की वकालत नहीं की जा सकती। युवा युगलों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए खाने की गोलियां, निरोध, कोपर-टी आदि जैसे परिवार नियोजन करने के विभिन्न गर्भ निरोधकों की पेशकश की गई है। पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्कैलपेल रहित नसबन्दी को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

अब तक सामाजिक विपणन कार्यक्रम पर जोरदार शहरी प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम के लाभों को गांवों, गन्दी बस्तियों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए तथा गर्भनिरोधकों, ओ.आर.एस. तथा सैनीटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत, बेरोजगार युवाओं को जिनका सामाजिक विकास की ओर रूझान है और जिन्हें ग्रामीण समुदाय का ज्ञान है, को ब्लाक क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा गर्भनिरोधकों का वितरण और संवर्धन में लगाया जाएगा।

वर्ष 2002-2003 के दौरान निःशुल्क और सामाजिक विपणन दोनों के अन्तर्गत गर्भ-निरोधकों की आपूर्ति हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत 511.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवस्थित 51.10 करोड़ रुपए की राशि 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था' के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

13.04 **संभार-तंत्र सुधारः** राज्यों में दवाओं, टीका-द्रव्यों, गर्भ-निरोधकों की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण की संभरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत अलग से दर्शाई गई है।

13.05 **क्षेत्रीय परियोजनाएंः** भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य-पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एक समान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता। देश के पहचाने हुए कतिपय पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं करने की पद्धति में सुधार करना ताकि राष्ट्रीय औसत के समतुल्य उनका विकास जल्दी हो सके, क्षेत्रीय परियोजनाएं, विदेशी अभिकरणों से आंशिक विदेशी सहायता द्वारा शुरु की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, भवन, वाहन, प्रशिक्षण आदि के रुप में अतिरिक्त निविष्टियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2002-2003 के ब.अ. में 74.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस समूह के अन्तर्गत, 100 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना की एक स्कीम शामिल की गई है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

13.06 **बन्ध्यीकरण बिस्तरः** इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कार्य-निष्पादन के आधार पर योजना के तहत आरक्षित बिस्तरों के रखरखाव हेतु भुगतान के लिए अनुदान जारी किए जाते है। दिनांक 7.2.2001 से मानदण्डों ने संशोधन किया गया है। प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 60 महिला नसबन्दी का लक्ष्य पूरा करने की शर्त के अधीन 6000/- रुपए प्रति बिस्तर प्रति वर्ष दिए जाएंगे और यह लक्ष्य पूरा न किए जाने की स्थिति में वर्ष में प्रति बिस्तर 45 महिला नसबन्दी का लक्ष्य पूरा होने पर प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 4000/- रुपए की दर पर भुगतान किया जाएगा। यदि निष्पादन-कार्य फिर भी कम रहता है तो रख-रखाव अनुदान प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 4000/- रुपए की दर पर दिया जाता है। इस समय कुल 3165 बिस्तर प्रचालन में है। 2002-2003 ब.अ. में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 20 लाख रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए है।

13.07 **अन्तर्राष्ट्रीय अंशदानः** इस योजना के अंतर्गत यूएनएफपीए, आईसीओएमपी, इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अंशदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

13.08 **"स्कैलपेल-सहित वैसेक्टॉमीं:** पुरुषों के लिए गर्भनिरोध हेतु सर्वाधिक कारगार तरीका है। इस परियोजना के अन्तर्गत "स्कैलपेल रहित वैसेक्टॉमीं" की तकनीक में 1500 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना हैं। ब.अ. 2002-2003 में 3.15 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है और यह योजना "गर्भ-निरोधकों की आपूर्तिं के अंतर्गत है।

13.10 **अन्य स्कीमेंः** वर्ष 2002-2003 के ब.अ. में 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है जो बैठकों/सम्मेलनों इत्यादि के लिए है।

13.11 **राष्ट्रीय जनसंख्या नीतिः** जैसाकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निहित है, सामुदायिक प्रोत्साहन योजना, परिवार कल्याण से संबंध स्वास्थ्य बीमा योजना, सेवाओं का समामेलन अधिकार-सम्पन्न कार्यदल, अन्य उपाय, सीएनएए के जरिए एमआईएस को मजबूत बनाना, जीएनडीटी का कार्यान्वयन इत्यादि जैसे नए उपायों के लिए 184.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 13.20 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

13.12 **उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरणः** 10 वर्ष की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 5.4 से घटा कर 4.0 करने और दम्पत्ति सुरक्षा दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए यू.एस.एड. की 10 वर्षीय परियोजना के लिए एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम को एक करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1992-93 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के लिए 2002–2003 के ब.अ. में 59.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

14. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त व्यवस्थाः** परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

15. **सहायता सामग्री और उपस्करः** ये अनुमान यूनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और खाई जाने वाली दवाइयों (ओरल पिल्स) के लिए वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित है।